6299/22 पडाव वि0 हैदर खान आदि

17-10-2023 राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री एम.एल. गुप्ता उपस्थित।

अभियुक्त हैदर खान पूर्व से निर्णीत।

अभियुक्त रविन्द्र गुर्जर एवं शनि करौसिया अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्तगण को जारी वारण्ट बाद या अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि पुलिस थाना पडाव द्वारा अभियुक्तगण की अनुपस्थिति में अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत होता आ रहा है। न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु उनके दर्शित पते पर कई बार वारंट जारी किये जा चुके हैं किन्तु अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पायी है। ऐसे में अभियुक्तगण की भविष्य में भी उपस्थिति संभव प्रतीत नहीं होती है।

जबकि इस प्रकार के लंबित प्रकरणों से न्यायालय में अन्य लंबित नियमित प्रकरण की कार्यवाही प्रभावित होती है, ऐसे में अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु इस प्रकरण को न्यायालय में अनिश्चितकाल तक के लिए लंबित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अभियुक्तगण को धारा–299 द0प्र0सं0 के अंतर्गत फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त **रविन्द्र गुर्जर एवं शनि करौसिया** के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख इस टीप के साथ अभिलेखागार दाखिल किया जावे कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है, इसलिए अभिलेख नष्ट नहीं किया जावे, सुरक्षित रखा जावे।

सही/–
(सी0एस0 शैयाम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर, म0प्र0

C S SHAIYAM
Digitally signed by C S SHAIYAM
Date: 2023.10.17 16:09:33 +0530